रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 1972/श्रावण 23, 1894

No. 376] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 1972/SRAVANA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 14th August 1972

S.O. 539(E)/IDRA/72.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 137(E), dated the 14th February, 1972, except as respects things done or omitted to be done thereunder.

[No. F. 25(23)/72-PEC/CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1972

का० आ० 539(अ)/आई डी आर ए/72.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या का० आ० 137 (ई) तारीख 14 फरवरी, 1972 को उसके अधीन की गयी या न की गई बातों के बारे में के सिवाय, एतद्द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० 25 (23) /72-पी ई सी/सी यु सी]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972